

16/11/25

वकील पदकारान उपर विभाजन प्रस्ताव पर
अधिकव्यता पदकारान की बहन कोषण की गई
अधिकव्यता वादी कोष कथन किया गया कि
यदि तहसीलदार चिड़ावा द्वारा प्राप्त विभाजन
प्रस्ताव अनुसार वाद अन्तिम डिक्री किया गया है तो
कोई अपील नहीं निवेदन की जा सकती
वादी का वाद अन्तिम डिक्री किया गया फावली
कैसल मुकाम से नगर से कर है 4 (चौबिस)
रुपया है (पुस्तक) निम्न नियम एडवक से हकित
कोषण जाकर शामिल फावली किया गया।

सपखण्ड अदालत चिड़ावा
जिला बुधन (राज.)